

भारत में महिला सशक्तिकरण : मुद्दे और चुनौतियाँ

¹राजन कुमार, ²डॉ० प्रशांत कुमार

¹शोधार्थी, ²असिस्टेंट प्रोफेसर

विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

सारांश—

यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करता है और इसकी समस्या और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। महिला सशक्तिकरण 21 वीं सदी की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक बन गया है। 20 सदी की शुरुआत से ही इनकी स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन आया है। अध्ययन में पाया गया कि भारत में महिलाएँ अपेक्षाकृत कम विकसित हैं और सरकार के कई प्रयासों के बावजूद वे पुरुषों से कुछ हद तक कम हैं। शिक्षा और रोजगार तक पहुँच के संबंध में लिंग अंतर मौजूद है। घर पर निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता उनकी उम्र, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में बहुत भिन्न होती है। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान लिंग मानदंडों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है। शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अधिक संभावना है। राजनीतिक भागीदारी में भी लैंगिक अंतर बहुत बड़ा है अध्ययन का निष्कर्ष है कि शिक्षा और रोजगार तक पहुँच ही एकमात्र सक्षम कारक है, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान काफी हद तक लैंगिक समानता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

मुख्य शब्द — महिला सशक्तिकरण मुद्दे चुनौतियाँ, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा।

प्रस्तावना—

महिला सशक्तिकरण आधुनिक समाज की एक प्रमुख अवधारणा है, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने की प्रक्रिया को इंगित करती है। भारत, एक विविध सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना वाला देश होने के कारण, महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में कई प्रयास कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, किंतु समय के साथ सामाजिक कुरीतियों, लैंगिक असमानता और रूढ़िवादी परंपराओं ने उनके विकास को सीमित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने महिलाओं को समान अधिकार देने और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान एवं योजनाएँ लागू की हैं। शिक्षा का विस्तार, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक स्वावलंबन के लिए सरकारी योजनाएँ, तथा कानूनी सुधारों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। हालाँकि, आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, वेतन असमानता, और स्वास्थ्य

सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत और लैंगिक भेदभाव के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाया है। इसका अर्थ है महिलाओं को जीवन में विकल्प चुनने की आजादी देना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ 'महिलाओं को सशक्त बनाना ही है बल्कि पुरुषत्व के स्थान पर समानता है। इस संबंध में महिला सशक्तिरण के विभिन्न पहलू हैं, जैसे –

मानवाधिकार या व्यक्तिगत अधिकार—

एक महिला का अस्तित्व इंद्रियों, कल्पना और विचारों से होता है, उसे उन्हे स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्तिगत सशक्तिकरण का अर्थ है बोलने में आत्मविश्वास रखना और बातचीत करने का निर्णय लेने की शक्ति का दावा करना।

शैक्षिक महिला सशक्तिकरण —

शैक्षिक महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना, इसका अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन पर दावा करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना।

आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण—

आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के स्वामित्व और प्रबंधन वाली स्थायी आजीविका के माध्यम से भौतिक जीवन की बेहतर गुणवत्ता से है। इसका अर्थ है कि उन्हें मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर पुरुष समकक्षों पर उनकी वित्तीय निर्भरता का कम करना।

कानूनी महिला सशक्तिकरण—

कानूनी महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य एक प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने के प्रावधान को प्रस्ताविक करना है। इसका अर्थ है कि कानून द्वारा दिए गए सुझावों और वास्तविकता के बीच के अंतर को समाप्त करना।

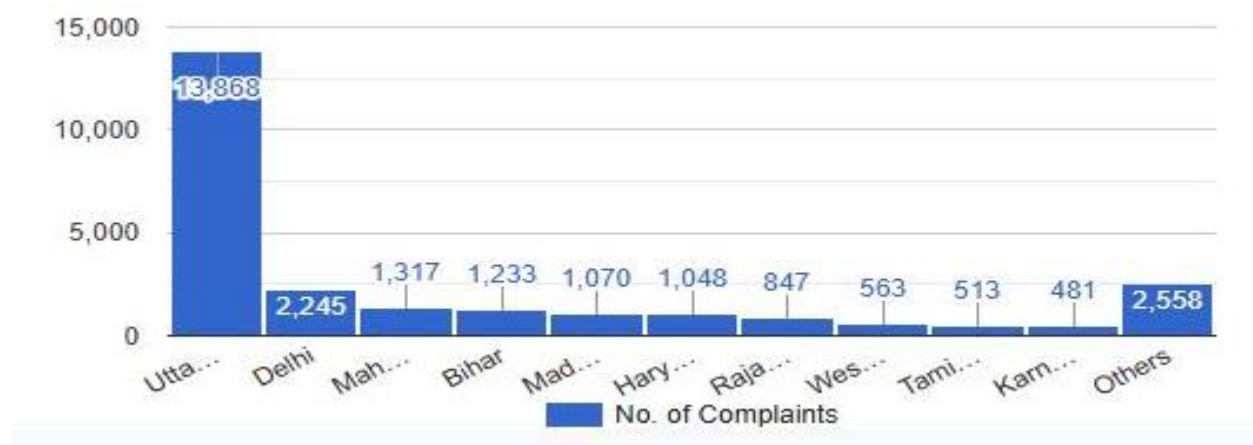
राजनीतिक महिला सशक्तिकरण—

राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन में महिलाओं की भागीदारी और नियंत्रण के पक्ष में एक राजनीतिक अवस्था का अस्तित्व ही राजनीतिक महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना एक वैश्विक आंदोलन के हिस्से के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस जैसे दिवस भी गति पकड़ रहे हैं। परिवारों, समुदायों और देशों के स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जब महिलाएँ सुरक्षित, परिपूर्ण और उत्पादक जीवन जीती हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकती हैं। वे एक स्थायी

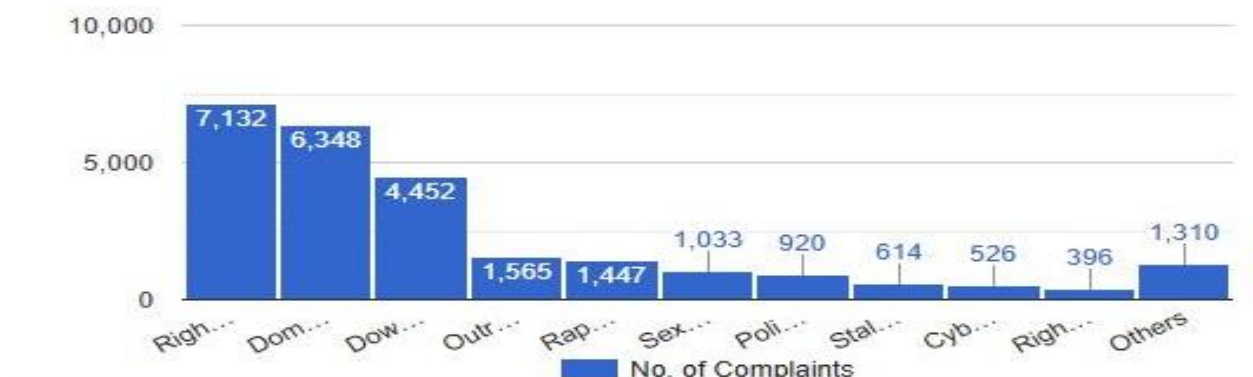
अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर उदारता और मानवता को बढ़ावा देती है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं और लड़कियों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

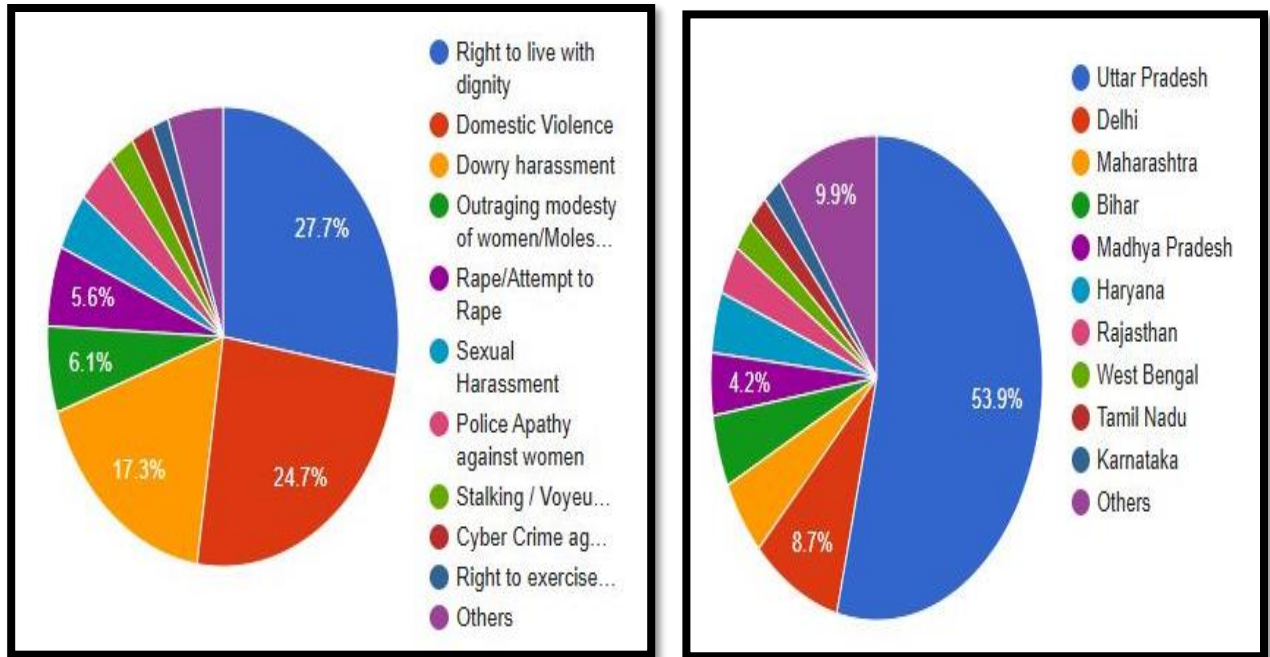
भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा-

भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं के खिलाफ शारीरिक या यौन हिंसा है, खासकर पुरुषों द्वारा भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में धरेलू हिंसा, यौन हिंसा और हत्या शामिल है। इस कृत्य को पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा माना जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित एक महिला है। लैंगिक असमानता वाली भूमिका वाले पुरुष अक्सर ये कृत्य करते हैं।



भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ बढ़ी हैं और हर तीन मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध होता है।





स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार

हत्याएँ –

दहेज हत्या दहेज विवाद के कारण एक विवाहित महिला की हत्या या आत्महत्या है। कुछ मामलों में पति और ससुर लगातार परेशान करके अधिक दहेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पत्नी आत्महत्या कर लेती है या परिवार में बेटी की शादी में उपहार, पैसे या संपत्ति का आदान – प्रदान होता है। इनमें से अधिकांश हत्याएँ फौसी, जहर या आत्मदाह द्वारा की गई है। दहेज के लिए हत्या होने पर स्त्री को आग लगा दी जाती है, इसे बधु को जलाना कहते हैं। दुल्हन की हत्या को अक्सर आत्महत्या या दुर्घटना कहा जाता है, कभी – कभी महिला को इस तरह से आग लगा दी जाती है कि ऐसा लगता है जैसे उसने खाना बनाते समय करोसिन स्टोव में आग लगा दी हो। भारत में दहेज गैर कानूनी है लेकिन दुल्हन के परिवार द्वारा आयोजित शादियों में दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को मंहगे उपहार देना अभी भी आम है। भारत में जादू – टोना के आरोप में महिलाओं की हत्या आज भी जारी है। इस प्रकार की हत्या का सबसे अधिक खतरा गरीब महिलाओं विधवाओं और निचली जाति की महिलाओं को होता है।

यौन भ्रूण हत्या एक नवजात शिशु की चयनात्मक हत्या था लिंग चयनात्मक गर्भपात, द्वारा कन्या भ्रूण की समाप्ति है लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक बोझ समझा जाता है। दहेज न देने का डर और सामाजिक बहिष्कार के कारण गरीब परिवारों में कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है। एक बार जब एक बार आधुनिक चिकित्सा तकनीक भ्रूण के लिंग का निर्धारण कर लेती है तो परिवार यह निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं कि वे लिंग के आधार पर गर्भपात कराना चाहते हैं या नहीं।

अध्ययन में पाया गया कि 8,000 में से 7,997 गर्भपात कन्या भ्रूण पर किए गए थे। मेडिकल पेशवरों द्वारा भ्रूण लिंग निर्धारण और प्रसवपूर्व गर्भपात अब 1000 करोड़ रुपये का उद्योग है।

यौन अपराध

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। भारत में बलात्कार सबसे आम अपराधों में से एक है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में, बलात्कार को किसी किसी पुरुष या महिला की सहमति के बिना किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की शारीरिक सुंदरता में धुसपैठ करना और दंडित नहीं किए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है। भारत उन पचास देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक वैवाहिक बलात्कार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। 20 प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी या पार्टनर पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात स्वीकार करते हैं। भारत में मानव तस्करी, हालांकि भारतीय कानून के तहत अवैध है, एक बड़ी समस्या है। व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से अक्सर लोगों को तस्करी कर लाया जाता है।

घरेलू हिंसा –

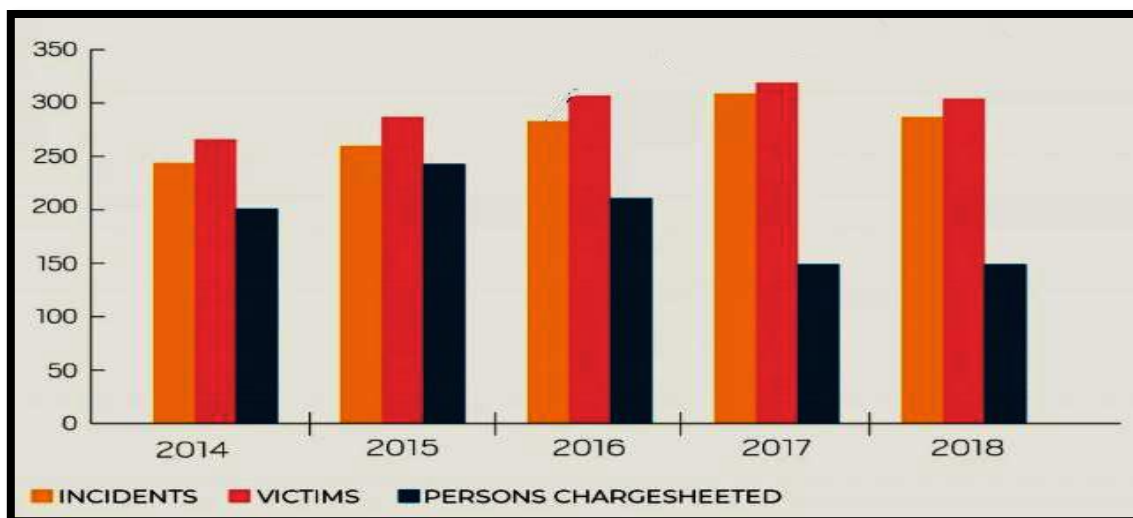
घरेलू हिंसा तब होती है जब एक साथी शादी या पारिवारिक संबंधों में दूसरे साथी के साथ दुर्व्यवहार करता है। घरेलू हिंसा को वैवाहिक दुर्व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा शारीरिक भावनात्मक मौखिक वित्तीय और यौन शोषण हो सकती है। राजनेता रेणुका चौधरी के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

बाल विवाह –

कम उम्र में शादी के लिए मजबूर होने वाली लड़कियों को एक बच्चे और एक महिला के रूप में दोहरे जोखिमक सामना करना पड़ता है। लड़के – लड़कियाँ अक्सर शादी का मतलब और जिम्मेदारियों नहीं समझते। ऐसी शादियों के कारण लड़कियाँ अपने माता – पिता पर बोझ बन जाती हैं और शादी से पहले अपनी पवित्रता खोने से डरती हैं।

एसिड फेंकना –

एसिड फेंकना जिसे एसिड अटैक, विट्रियल अटैक या विट्रिजेज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में महिलाओं पर हिंसक हमले का एक रूप है। एसिड फेंकने का अर्थ है विकृत करने विकलांग बनाने, यातना देने या मारने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के शरीर पर “एसिड या वैकल्पिक संक्षारक पदार्थ फेंकना। एसिड हमले आमतौर पर पीड़ित के चेहरे पर निर्देशित होते हैं जिससे त्वचा को नुकसान होता है और अक्सर हड्डी उजागर हो जाती है या टूट जाती है। एसिड हमलों से स्थायी धाव, अंधापन के साथ-साथ समाजिक, मनोवैज्ञानिक और अर्थिक समस्याएँ भी हो सकती हैं।



भारतीय विधायिका ने एसिड की विक्री को नियंत्रित किया है। दुनिया भर की महिलाओं की तुलना में भारत में महिलाओं पर एसिड अटैक का खतरा अधिक है। भारत में रिपोर्ट किए गए एसिड हमलों में से कम से कम 72 प्रतिशत में महिलाएँ शामिल हैं। पिछले एक दशक से भारत में एसिड हमले बढ़ रहे हैं।

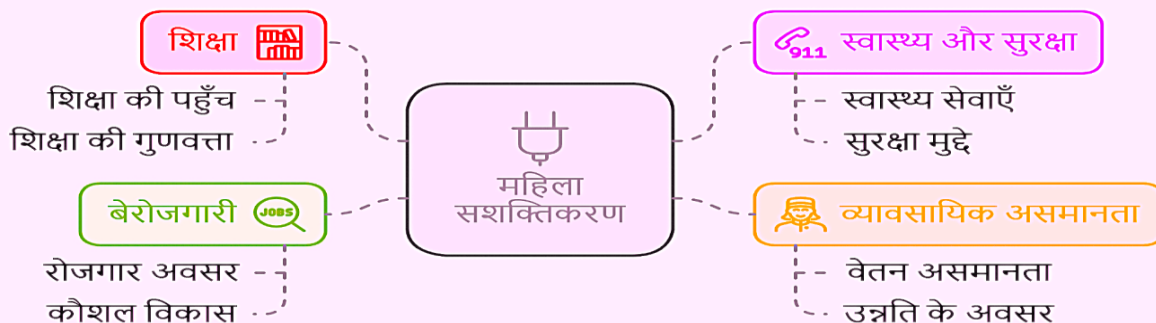
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता—

यह महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ-साथ समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्त बनाना ही महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाओं को सशक्त बनाना ही महिलाओं को सशक्त बनाना है महिलाओं को शिक्षा, समाज, अथर्व्यवस्था और राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार मिल सकता है। महिलाएँ अपनी धार्मिक, भाषा, कार्य और अन्य गतिविधियों को चुनकर खुशी से समाज में शामिल हो सकती हैं। महिला सशक्तिकरण भारत में विकास का सबसे प्रभावी साधन है, दुनिया भर में महिलाएँ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में दूसरों से आगे निकल रही हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण काफी हद तक भौगोलिक संरिग सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति और आयु अदिकारक सहित कई अलग अलग कारकों पर निर्भर है। महिला सशक्तिकरण पर कार्यवाई राज्य स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। हालांकि, महिलाओं को शिक्षा आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता और राजनीतिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह दर्शाती है कि सामुदायिक स्तर पर रणनीति की प्रगति और वास्तविक अभ्यास के बीच अंतर है।

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ :-

भारत में महिलाओं के अधिकार के मुद्दों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने से भारत में महिला सशक्तिकरण को सीधा लाभ मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ



शिक्षा –

आजादी के बाद से देश ने लंबी छलांग लगाई है और शिक्षा को लेकर चिंतित है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। 82.14 प्रतिशत व्यस्क पुरुष सुशिक्षित हैं। जबकि भारत में केवल 65.46 प्रतिशत व्यस्क महिलाएँ ही साक्षर मानी जाती हैं। उच्च शिक्षा में लैंगिक पक्षपात विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण जो रोजगार में महिलाओं को दृढ़ता से प्रभावित करता है और किसी भी क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व प्राप्त करता है।

वर्ष	पुरुष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
1981	56.38	29.76
1991	64.13	39.29
2001	75.26	53.67
2011	82.14	65.46

स्रोत— जनगणना विभाग भारत सरकार

गरीब –

गरीबों के विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और गरीबी उन्मूलन उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए जितना की निरक्षरता उन्मूलन। इससे धरेलू सहायिका के रूप में महिलाओं का शोषण होता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा –

महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे देश हित में सर्वोपरि है और देश में महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कारक है। हालाँकि, जहाँ तक माताओं का संबंध है, चिंताजनक चिंताएँ हैं।

व्यावसायिक असमानता –

यह असमानता रोगार एवं पदोन्नति में प्रचलित है। सरकारी कार्यालयों और निजी उद्योगों में महिलाओं को पुरुष प्रधान और वर्चस्व वाले वातावरण में असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

धरेलू असमानता –

दुनिया भर में विशेष रूप से भारत में पारिवारिक रिश्तों, बहुत कम लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से लैंगिक भेदभाव दिखा रहे हैं, धरेलू कार्य बच्चों की देखभाल और तथाकथित काम विभाजन से तुच्छ कार्यभार साक्षात् कर रहे हैं।

बेरोजगारी–

बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं के लिए सही नौकर ढूँढ़ना कठिन है। कार्यास्थल में शोषण और उत्पीड़न के कारण वे और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

असहनीय स्थितियाँ –

अशिक्षित महिलाओं में जीवन के किसी भी चरण में अपने पतियों को तलाक देने और छोड़ने की अधिक संभावना होती है। उन्हें अपना पूरा जीवन असहनीय परिस्थितियों के कारण जीना पड़ता है।

निष्कर्ष –

जब महिलाएँ परिवार का नेतृत्व करती हैं तो गाँव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। यह आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनकी मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार एक अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा जब उनके पास आय और धन हो ताकि वे अपनी पैरों पर खड़ी होकर समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिला सशक्तिकरण 21 वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी पहल ही पर्याप्त नहीं है। लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज को ऐसा माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए और महिलाओं को समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने के लिए आत्म – संकल्प का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

सन्दर्भ सूचि:

- Mishra., D., & Chouhan., M. (2023). महिला सशक्तिकरण पर डिजिटलीकरण का प्रभाव. *International Journal for Multidisciplinary Research* 5(5)- <https://doi-org/10-36948/ijfmr-2023-v05i05-6403>
- कुमारअ. (2020). गाँधीरू महिला सशक्तिकरण विषयक दृष्टिकोण. *Sahitya Samhita*, 12(5), 67–70- <https://hindijournals-org/indeU-php/drishtikon/article/view/2841>
- कुमारश. (2023). लिंग भेद का महिला सशक्तिकरण पर प्रभावरू एक अध्ययन. *International Journal of Humanities and Education Research*] 5(1) 25–28- <https://doi-org/10-33545/26649799-2023-v5-i1a-40>
- कुमारस. (2020). पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण. *International Journal of Political Science and Governance*] 2(2) 25–29- <https://doi-org/10-33545/26646021-2020-v2-i2a-51>
- चौधरक. (2020). महिला सशक्तिकरण एक अवधारणा और उसकी चुनौतियाँ. *VEETHIKA&An International Interdisciplinary Research Journal*] 6¼3½] 22–27- <https://doi-org/10-48001/veethika-2020-06-03-003>
- द्विवेदर. प. (2016). भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास. *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*] 4(3) 180–188- [http://anvpublication-org/Journals/AbstractView-aspUJournal\[International Journal of Reviews and Research in Social Sciences;PID\]2016&4&3&7](http://anvpublication-org/Journals/AbstractView-aspUJournal[International Journal of Reviews and Research in Social Sciences;PID]2016&4&3&7)
- निमस. क. (2019). महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की अनिवार्यता. *International Journal of Applied Research*] 5¼4½] 541–543- <https://www-allresearchjournal-com/archives/^year=2019&vol=5&issue=4&part=H&ArticleId=8593>

- वर्षेयड. श. प. व. ड. श. प. (2024). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं कल्याणकारी योजनाएँ. *International Journal of Physical Education & Sports Sciences*] 16(1) 10–13- <https://doi-org/10-29070/991z9172>
- सिंह, म. क. (2020). महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान एवं प्रभाव. *International Journal of Advanced Academic Studies*, 2(4) 245–250- <https://doi-org/10-33545/27068919-2020-v2-i4d-762>
- सिंहस. क. (2022). आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)- <https://doi-org/10-5281/zenodo-7541217>
- सोनोनक. व. क. (2024). महिला सशक्तिकरण- *SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub*, 11(12) 510–515- <https://doi-org/10-61165/sk-publisher-v11i12-99>